रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 1972/वैशाख 9, 1894

No. 227] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 1972/VAISAKHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April 1972

S.O. 327(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Third Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Officer Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958 after entry (4), the following entry shall be inserted, namely:—

"(4-A) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Social Welfare) by the Director in that Department; or"

[No. F.3/5/72-Public I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1972

का० आ० 327(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) तृतीय संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के नियम 2 में, प्रविष्टि (4) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के निदेशक द्वारा; या "

[सं० फा० 3/5/72-पब्लिक-1]

का० आ० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972